संख्या-27/2026/527/ 001-78-01099-94-2024

प्रेषक,

समीर,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 27-05-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 165.00 लाख (रूपये एक करोड़ पैसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064(2026-27)/244, दिनांक 01 मई, 2026 एवं पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064(2026-27), दिनांक 07 मई, 2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु उपर्युक्त पत्रों के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में लेखाशीर्ष "2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों-202-इलेक्ट्रानिक्स-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान, मद में प्राविधानित धनराशि रू0 165.00 लाख (रूपये एक करोड़ पैसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्त प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर केवल तात्कालिक आवश्यकता होने एवं नियोजित वास्तविक जनशाक्ति के उपस्थिति पत्रक के आधार पर ही राजकोष से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति में निहित आकंडो की शुद्धता/शुचिता का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ का होगा।

(7) व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं किसी भी रूप में दोहरा भुगतान नहीं किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि पर यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/नियमों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व उ0प्र0 बजट मैनुअल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,65,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072020300 शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण मानक मद 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

समीर

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

4& निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11- मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3

12- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समीर

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।